अध्याय 11
शहरीकरण एवं नगरीय प्रशासन

11.1 नगरीय विकास एक जन सांख्यिकीय प्रवृत्ति है, जो आर्थिक विकास के साथ-साथ चलती है। पिछले कुछ दशकों से नगरीय जनसंख्या में हो रही वृद्धि में छत्तीसगढ़ भी अपवाद नहीं है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में नगरीय जनसंख्या लगभग 59.37 लाख है, जो कि प्रदेश की कुल जनसंख्या का 23.24 प्रतिशत है, जबकि देश का यह प्रतिशत 31.16 है। शहरीकरण में छत्तीसगढ़ देश के राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में 28वें स्थान पर है।

11.2 राज्य में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर वर्ष 2001-2011 के दशक में 41.83 प्रतिशत रही है, जबकि भारत में यह दर 31.80 प्रतिशत थी।

जनसंख्या प्रक्षेपण : छत्तीसगढ़

11.3 भारत के जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2021 के प्रक्षेपित अनुमान यह दर्शाते हैं कि राज्य में लगभग 72.12 लाख नगरीय जनसंख्या होगी, जो कुल जनसंख्या का 26.40 प्रतिशत होगी।

तालिका 11.1 नगरीय जनसंख्या प्रक्षेपण : छत्तीसगढ़

जनगणना वर्ष	जनसंख्या (लाख में)	कुल जनसंख्या का प्रतिशत
2001	41.86	20.10
2011	59.37	23.24
2021	72.12 (अनुमानित)	26.40

स्रोत - जनगणना भारत 2011 जनसंख्या प्रक्षेपण भारत एवं राज्य 2001-21.

छत्तीसगढ़ के जिलों में शहरीकरण

11.4 छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में शहरीकरण में एकरूपता नहीं है। 4 जिले रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं कोरबा में शहरी जनसंख्या लगभग 60 प्रतिशत है, 13 जिलों में यह लगभग 39 प्रतिशत है। शेष 10 जिलों यथा- नारायणपुर, बीजापुर, बालोद, बलरामपुर, बेमेतरा, गरियाबंद, कोण्डागांव, मुंगेली, सुकमा एवं सूरजपुर में शहरीकरण की दर लगभग 1 प्रतिशत है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की 149 तहसीलों में से 17 तहसीलों में शहरी जनसंख्या 5 प्रतिशत से कम है एवं 32 तहसीलों में शहरी जनसंख्या निरंक है।

नगरीय जनसंख्या में वृद्धि का कारण जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों एवं देश के अन्य हिस्सों से शहरों में प्रवास भी है। कुछ जिलों में शहरी जनसंख्या का संकेन्द्रण वहां हुए औद्योगिकरण के कारण है। राज्य की राजधानी रायपुर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। लौह एवं इस्पात बाजार, कोयला निर्यात, सीमेंट संयंत्र, क्षेत्रीय व्यापार की धूरी, कृषि विपणन तथा वाणिज्य केन्द्र होने के कारण रायपुर की शहरी जनसंख्या में तेज गति से वृद्धि हो रही है। कोरबा छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी एवं उद्योग का केन्द्र है। कोरबा की वाणिज्यिक रूप-रेखा में नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन के संयंत्र की स्थापना के पश्चात् नाटकीय परिवर्तन आया है। बिलासपुर रेलवे-जोन का मुख्यालय है और जिले में अनेक विद्युत उत्पादन संयंत्र एवं उद्योग स्थित हैं। जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग शहरी क्षेत्र की ओर आकर्षित हो रहे हैं। दुर्ग खनिज संसाधनों में समृद्ध है जिससे खनिज आधारित उद्योग यथा- लौह इस्पात एवं सीमेंट उत्पाद के संयंत्र यहां पर स्थित हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र के कारण, भिलाई आर्थिक गतिविधियों की धूरी है, जिससे अन्य उद्योगों एवं लोगों को आकर्षित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। राज्य के अन्य जिलों में शहरीकरण की दर कम है, क्योंकि वहां बहुत बड़े भू-भाग में वन

स्थित हैं जहाँ अधिकतर वन आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर जनजातियां निवास करती हैं। शहरी जनसंख्या में वृद्धि दर अधिक होने से नागरिक सेवाओं विशेषतः आवास, जल प्रदाय, स्वच्छता, परिवहन सेवा, स्वास्थ्य सेवा एवं ठोस अपशिष्ट के निदान आदि पर अत्यधिक दबाव पड़ता है।

जनसंख्या आधारित वर्गीकरण

11.5 राज्य में अधिकांश नगरीय क्षेत्र छोटे और मध्यम श्रेणी के शहर हैं। 182 जनगणना शहरों में केवल 9 शहर प्रथम श्रेणी, 6 शहर द्वितीय श्रेणी और शेष 167 शहर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में आते हैं। प्रथम श्रेणी के शहरों की जनसंख्या कुल शहरी जनसंख्या का 53 प्रतिशत है। वर्तमान में राज्य में प्रथम श्रेणी शहरों की संख्या 13 हो गई है। (तालिका 11.2)

तालिका 11.2
जनसंख्या आधारित शहरों का वर्गीकरण 2011

आकार श्रेणी	जनसंख्या	शहर	जनसंख्या	कुल का प्रतिशत
I	> 1,00,000	9	31,37,918	52.85
II	50,000 – 99,999	6	5,03,765	8.48
III	20,000 – 49,999	31	9,82,212	16.56
IV	10,000 – 19,999	51	7,20,288	12.13
V	5,000-9999	72	5,33,350	8.99
VI	<5,000	13	59,005	0.99
	कुल	182	59,36,538	100.00

स्रोत - जनगणना भारत 2011

नगर पालिकाकरण

11.6 राज्य में शहरीकरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अधिकांश शहरी जनसंख्या नगर पालिकाओं के अंतर्गत आती है। वर्तमान में 5000 एवं उससे अधिक जनसंख्या वाले शहर नगर पंचायत, 20000 से अधिक जनसंख्या वाले शहर नगरपालिका परिषद के अंतर्गत एवं 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर नगरपालिक निगम के अंतर्गत आते हैं।

11.7 जैसा कि पूर्व में विवचेना की गई है, नगरीय स्थानीय निकाय काफी छोटी जनसंख्या पर गठित किये गये हैं, जो कि बहुत सारे प्रकरणों में व्यवहार्य नहीं है। उनके कर्मचारियों की पदस्थापना का ढांचा बहुत कमजोर है। अधिकांश ग्राम पंचायतों में विधि के प्रावधानों के अनुसार व्यवस्थित ढंग से कोई कर आरोपित नहीं किया जाता है। अतः नगर पंचायतों में सम्पत्ति कर के आरोपण का मनोवैज्ञानिक विरोध किया जाता है। कुछ प्रकरणों में दो या तीन ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक नगर पंचायत बना दी गई है। इन नगर पंचायत के अधीन आने वाली बसाहटों के मध्य दूरी काफी अधिक होने से स्थानीय निकायों की आधारभूत संरचना की लागत अधिक हो जाती है।

11.8 केन्द्र शासन के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रसारित आदर्श म्यूनिसिपल विधि में नगर पालिकाकरण हेतु कम से कम 25,000 जनसंख्या होने का प्रावधान अनुशंसित था। 65वें संविधान संशोधन विधेयक में जो बाद में कुछ परिवर्तन के साथ 74वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पारित हुआ है, में नगर पालिकाकरण हेतु जनसंख्या 10,000 से 20,000 निर्धारित की गई है। (तालिका 11.3)

तालिका 11.3
नगर पालिकाकरण हेतु अर्हता

राज्य/विधि	नगर पंचायत	नगर पालिका	नगर पालिक निगम
आदर्श म्यूनिसिपल विधि	25,000 से कम	25000-3,00,000	3,00,000 से अधिक
74वां संविधान संसोधन विधेयक	10,000 -20,000	20,001 -3,00,000	3,00,000 से अधिक
छत्तीसगढ़	**5,000 -20,000**	**20,001- 1,00,000**	**1,00,000 से अधिक**
आंध्रप्रदेश	25,000 -40,000	40,001-4,00,000	4,00,000 से अधिक
कर्नाटक	10,000 -20,000	20,001 -3,00,000	3,00,000 से अधिक
मध्यप्रदेश	20,000 -50,000	50,001 -3,00,000	3,00,000 से अधिक

स्रोत - संबंधित नगर पालिका विधि एवं नियम

आयोग के मत में नगरीय स्थानीय निकायों के गठन के लिए निर्धारित जनसंख्या का मापदण्ड अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में बहुत कम है। नगरीय स्थानीय निकायों को आधारभूत संरचना एवं अच्छी सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए इन मापदण्डों में परिवर्तन की आवश्यकता है। अतः 10,000 से कम जनसंख्या वाले नगरों में नगर पंचायत का गठन नहीं किया जाना चाहिए।

(i) *आयोग की अनुशंसा है कि नगर पंचायतों का गठन 10,001 से 30,000 तक जनसंख्या वाले नगरों, नगर पालिका परिषद का गठन 30,001 से 2,00,000 जनसंख्या तक एवं नगर पालिक निगम का गठन 2,00,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में किया जाये।*

(ii) *आयोग की अनुशंसा है कि पंचायत शब्द के उपयोग से होने वाले भ्रम को दूर करने के लिए **'नगर पंचायत'** का नाम **'नगर परिषद'** किया जाए।*

सुशासन

11.9 नगरीय निकाय द्वारा दक्षतापूर्ण सेवा प्रदाय, वित्तीय व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति और समस्याओं का निराकरण, सतत् नगरीय विकास को गतिशील बनाये रखने के लिए सुशासन महत्वपूर्ण है।

संगठनात्मक ढांचा

11.10 नगरीय स्थानीय निकायों को दो मुख्य नगरपालिका अधिनियमों, छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 से प्रशासित किया जाता है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय क्षेत्रों में नीति निर्धारण, विधि-विधान, समन्वय, निगरानी एवं विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए उत्तरदायी मूल विभाग (नोडल) है। संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास नीतियों के क्रियान्वयन, विधि एवं कार्यक्रमों के लिए उत्तरदायी विभागाध्यक्ष है। राज्य शहरी विकास अभिकरण की स्थापना शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों एवं सामान्य विकास से संबंधित कार्यों के लिए की गई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। प्रत्येक में एक क्षेत्रीय संयुक्त संचालक प्रधान अधिकारी है जो नगरीय स्थानीय निकायों के पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन एवं विकास कार्यों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए जिम्मेदार होता है।

11.11 कुछ अन्य विभाग जिनका नगरीय स्थानीय निकायों से काफी निकट का संबंध है और जिसका गहरा

प्रभाव उनकी कार्य क्षमता पर पड़ता है, निम्नानुसार हैं :-

1. संचालक नगर एवं ग्रामीण निवेश, नगर एवं ग्रामीण निवेश अधिनियम 1973 को सभी नगरीय निकायों में लागू करने एवं मास्टर प्लान बनाकर उसे लागू करने के लिए उत्तरदायी है। परन्तु संचालक, नगर एवं ग्रामीण निवेश, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधीन न होकर आवास एवं पर्यावरण विभाग के अधीन होता है।
2. नगरीय पेयजल आपूर्ति परियोजना की योजना एवं उसका क्रियान्वयन सामान्यतः लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किया जाता है, जो कि एक पृथक विभाग है।
3. समस्त नगरीय स्थानीय निकायों के अंकेक्षण कार्य का उत्तरदायित्व संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा का है, जो वित्त विभाग के अधीन है।
4. रायपुर विकास प्राधिकरण अपने क्षेत्राधिकार में मास्टर प्लान के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है।

11.12 जिला कलेक्टर, नगरीय स्थानीय निकायों एवं विभिन्न विभागों यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण आदि के मध्य समन्वय करता है। जिला कलेक्टर, जिला शहरी विकास अभिकरण के अध्यक्ष के रूप में गरीबों के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन करता है।

11.13 छत्तीसगढ़ में नगरीय स्थानीय निकायों में नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन के लिए पृथक-पृथक प्रकोष्ठ हैं। महापौर/अध्यक्ष, निर्वाचित पार्षद एवं मनोनीत एल्डरमेन नीति निर्धारण प्रकोष्ठ के प्रमुख होते हैं। नगर पालिक निगम के आयुक्त एवं नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रशासनिक प्रकोष्ठ के प्रमुख होते हैं।

नगर पालिकाओं में निर्वाचन

11.14 छत्तीसगढ़ की नगर पालिकाओं में कुल 3217 वार्ड हैं। महापौर/अध्यक्ष एवं पार्षदों की श्रेणीवार संख्या तालिका 11.4 में दी गई है।

तालिका 11.4

नगरीय स्थानीय निकायों के श्रेणीवार निर्वाचित जनप्रतिनिधि

क्रमांक	नगरीय स्थानीय निकाय	संख्या	जनप्रतिनिधियों का विवरण		
			महापौर/अध्यक्ष	वार्ड की संख्या	निर्वाचित पार्षद
1	नगर पालिक निगम	13	13	688	688
2	नगर पालिका परिषद	44	44	864	864
3	नगर पंचायत	111	111	1665	1665
	योग	**168**	**168**	**3217**	**3217**

स्रोत - प्रशासकीय प्रतिवेदन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 2017-18

11.15 नगरीय स्थानीय निकायों के निर्वाचन में एक सकारात्मक परिवर्तन यह हुआ है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं को निर्वाचन में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। ऐसे नगरीय निकाय जहाँ महिलाएं पदासीन हैं यह अनुभव किया गया है, कि वे अपने कार्य का सम्पादन बड़ी दक्षतापूर्वक करती हैं। इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

आयोग की अनुशंसा है कि महिला सशक्तिकरण हेतु नगर पंचायत के कुल पदों के दो तिहाई या उससे अधिक पदों पर महिलाओं के निर्वाचन की स्थिति में संबंधित नगर पंचायत को रू. 5.00 लाख का विशेष अनुदान दिया जाए।

कार्यक्षेत्र

11.16 राज्य में संविधान की 12वीं अनुसूची में उल्लेखित 18 मुख्य कार्यों को नगरीय स्थानीय निकायों में सम्मिलित करने हेतु नगर पालिका अधिनियमों में संशोधन किया गया है। इनमें से कुछ कार्य जैसे- जल आपूर्ति, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जन्म मृत्यु पंजीयन, स्ट्रीट लाईट आदि के कार्य अनिवार्य कार्यों की श्रेणी में है एवं अन्य विषय यथा नगरीय नियोजन, भूमि उपयोग के विनियमन, सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजना, सड़क, पुल, अग्निशमन सेवा, गरीबी उपशमन आदि ऐच्छिक श्रेणी में रखे गये हैं जैसा **परिशिष्ट 11.1** में दर्शित है।

नगरीय स्थानीय निकायों को कार्यों का हस्तांतरण संपूर्ण रूप से नहीं किया गया है, और जहां किया गया है वहां यह हस्तांतरण कोष एवं कार्मिकों के साथ नहीं किया गया है। परिणाम स्वरूप नगरीय स्थानीय निकायों की कार्य क्षमता बाधित एवं सीमित हुई है जिसका उल्लेख प्रथम वित्त आयोग ने भी अपने प्रतिवेदन में किया है। (कंडिका 9.4.1)

द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर कृत कार्यवाही प्रतिवेदन के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि कुछ परिवर्तन हुए हैं परन्तु वे अभी शतप्रतिशत स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। यह तथ्य नगरीय स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों द्वारा भी संभाग स्तरीय बैठक में ध्यान में लाया गया था। नगरीय स्थानीय निकायों के इन कार्यों के निष्पादन से यह स्पष्ट है कि 74वें संविधान संशोधन की अपेक्षाओं एवं वास्तविक उपलब्धियों में बहुत अंतर है। संविधान की 12वीं अनुसूची में वर्णित नगरीय निकायों को सौंपे गए कार्यों के संबंध में क्रियान्वयन की स्थिति **परिशिष्ट 11.2** में वर्णित है। नगरीय स्थानीय निकायों को अब तक हस्तांतरित नहीं हुए कार्यों को अन्य विभागों एवं संस्थाओं जैसे संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं रायपुर विकास प्राधिकरण आदि द्वारा संपादित किया जा रहा है।

कार्मिक स्थिति

11.17 आयुक्त एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी अपनी-अपनी संस्थाओं के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। प्रत्येक नगर पालिका में इंजीनियर, स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निवेशक, लेखापाल, लोक स्वास्थ्य इंजीनियर आदि की पदस्थापना होना आवश्यक है। निम्नलिखित तालिका 11.5 वर्ष 2016-17 में कार्मिक स्थिति दर्शाती है। यह देखा जा सकता है कि स्वीकृत नियमित पदों की भर्ती में बहुत कमी है, जिन्हें संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मियों से भरा जाता है। नगर पालिक निगम में स्वीकृत पदों के विरूद्ध लगभग 25 प्रतिशत पद रिक्त हैं, वहीं नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में क्रमशः 34 एवं 28 प्रतिशत पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों को शीघ्र भरा जाना आवश्यक है।

तालिका 11.5
नगरीय स्थानीय निकायों में कार्मिक स्थिति

क्रमांक	नगरीय स्थानीय निकाय	स्वीकृत पद	कार्मिक संख्या				
			नियमित	दैनिक वेतनभोगी	योग	रिक्त पद	रिक्त पदों का प्रतिशत*
1.	नगर पालिक निगम	11,238	8,398	1,892	10,290	2840	25.27
2.	नगर पालिका परिषद	3146	2053	1435	3,428	1093	34.74
3.	नगर पंचायत	1,790	1,278	1,498	2,716	512	28.60

स्रोत - संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास
*रिक्त पद में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी शामिल नहीं है।

तकनीकी एवं अन्य कर्मी

11.18 नगरीय स्थानीय निकाय तकनीकी कर्मचारी, लेखापाल आदि की कमी से ग्रस्त हैं। कई नगरीय स्थानीय निकायों में इंजीनियरों के पद रिक्त हैं और उन निकायों में समीपस्थ नगरीय स्थानीय निकायों एवं संयुक्त संचालक कार्यालय में संलग्न कर्मियों की सेवाएं ली जाती हैं, जो अतिआवश्यक होने पर ही उपस्थित होते हैं। जिससे कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आयोग का यह अवलोकन है कि नगरीय स्थानीय निकायों के विभिन्न विभागों में अप्रशिक्षित एवं असंबंधित कर्मियों को प्रमुख पदों पर नियुक्त किया गया है, जिन्हें नगरीय स्थानीय निकायों में काम करने का अनुभव नहीं है। यही स्थिति लेखा एवं राजस्व विभागों में भी है। नियमित कर्मियों के अभाव में दैनिक वेतनभोगी या स्थानापन्न कर्मियों द्वारा बहुत से कार्य संपादित किए जाते हैं। नई उन्नयन की गई नगर पंचायतों में यह स्थिति चिंताजनक है।

11.19 नगरीय स्थानीय निकायों के प्रशासन में अपर्याप्त एवं अप्रशिक्षित कर्मियों के कारण गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। अन्य समस्याओं में कार्य योजना में विलंब, निष्पादन, अभिलेखों का अव्यवस्थित संधारण एवं आँकड़ों की अनुपलब्धता आदि हैं। अत्यधिक संख्या में दैनिक वेतनभोगी, स्थानापन्न कर्मचारी एवं आउटसोर्सिंग के कारण निरंतरता, अभिप्रेरणा एवं जवाबदेही का अभाव होने की समस्या है।

(i) *आयोग की अनुशंसा है कि राज्य शासन इस दिशा में सुधारात्मक कदम उठाते हुए प्रत्येक स्तर पर पर्याप्त एवं कुशल कर्मियों की व्यवस्था करे।*

(ii) *आयोग यह भी अनुशंसा करता है कि नगरीय स्थानीय निकायों में अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों के वेतन एवं भत्तों का वहन राज्य शासन करे, क्योंकि नगरीय स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति इस व्यय को वहन करने योग्य नहीं है।*

नगर पालिका संवर्ग

11.20 नगर पालिका प्रशासन की मुख्य समस्या कर्मियों के कमजोर ढांचे एवं सुसज्जित विभिन्न कार्य क्षेत्रों के संवर्ग के अधिकारियों का अभाव है, जो शहरी विकास का उचित प्रबंधन कर सकें। 23 सितम्बर 2016 को रायपुर में आयोजित महापौर सम्मेलन में भी अधिकारियों के संवर्ग को पुर्नगठित करने एवं सुव्यवस्थित करने हेतु सुझाव दिए गए थे।

आयोग की यह अनुशंसा है कि वर्तमान संवर्ग को व्यवस्थित किया जाए। जहाँ आवश्यकता हो वहाँ नये संवर्ग का गठन किया जाए यथा- लेखा, राजस्व, पर्यावरण इंजीनियरिंग एवं नगरीय नियोजन जिससे नगरीय प्रशासन में पेशेवर दृष्टिकोण अपनाया जा सके।

छत्तीसगढ़ नगर पालिका राजस्व विनियामक आयोग

11.21 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राजपत्र में अधिसूचना दिनांक 11 मई 2011, छत्तीसगढ़ नगर पालिका राजस्व (विनियामक आयोग की स्थापना) अधिनियम 2011 जारी किया गया है, परन्तु अब तक यह कार्यशील नहीं हो सका है।

आयोग अनुशंसा करता है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका राजस्व विनियामक आयोग को कार्यशील किया जावे।

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆